



उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-4

संख्या-49/2026/1/1383733/2026/11-4099/11/2022

लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2026

शुद्धि-पत्र

राज्य कर विभाग के शासनादेश संख्या-48/2026/1/1379552/2026/11-4099/11/2022, दिनांक 30.06.2026 द्वारा जनपद-अयोध्या में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में अधिकारियों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की टेन्डर लागत रु0 699.46 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4216-01-700-03-जनपद आयोध्या राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि में से परियोजना की अवशेष/अंतिम किश्त के रूप में रु0 149.46 लाख (रुपये एक करोड़ उन्चास लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2026 के प्रस्तर-4 को निम्नवत् पढ़ा व समझा जाय-

इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,49,46,000 (रुपये एक करोड़ उन्चास लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 4216017000300 जनपद आयोध्या राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-48/2026/1/1379552/2026/11-4099/11/2022, दिनांक 30.06.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-11, अयोध्या।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।